कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 06.06.2026

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं में संलिप्त 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का माल मशरूका बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.06.2026 को वादी श्री रईस अहमद खान पुत्र स्व0 सगीर अहमद खान निवासी रेड़इया आबूनगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गई कि मेरी दुकान "सुप्रीम बैट्री एवं इन्वर्टर", वीआईपी रोड आबूनगर, सरस्वती विद्या मंदिर के सामने स्थित है। दिनांक 02.06.2026 को वह प्रतिदिन की भांति लगभग 08:00 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। दिनांक 03.06.2026 को प्रातः लगभग 06:00 बजे जब वह दुकान पर पहुंचे तो देखा कि अंदर सामान बिखरा पड़ा था तथा दुकान के पीछे लगे लोहे के दरवाजे को काटकर अज्ञात चोरों द्वारा दुकान से बैट्री, इन्वर्टर एवं ई-रिक्शा से संबंधित सामान, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60–70 हजार चोरी कर लिया गया है। । इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में प्रभावी सुरागरसी पतारसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 06.06.2026 को प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. आशीष सैनी पुत्र सुक्खू सैनी उम्र 20 वर्ष निवासी निकट वर्मा चौराहा कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर मोबाइल 2. शैलेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद प्रसाद उर्फ गोविंद सविता उम्र 22 वर्ष निवासी रानी कॉलोनी कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर 3.अजय कुमार मोर्य पुत्र रंजीत सिंह मोर्य उम्र 24 वर्ष निवासी आईटीआई अलंकार गार्डन के बगल कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 4 अदद छोटी बड़ी बैटरियां, एक लोहे का ई रिक्शा का पुर्जा (क्राउन), एक काले रंग का इनवर्टर जिस पर microtek अंकित है, लाल नीले और पीले रंग के मोटे कोटेड वायर, तथा नंगे कॉपर वायर, एक लाल रंग का Atut shakti ई रिक्शा नम्बर UP71BT5328 बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई । गिरफ्तार अभियुक्तों को को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने एवं अपने ऐशो-आराम की पूर्ति के उद्देश्य से पहले बंद मकानों, दुकानों एवं अन्य स्थानों की रेकी करते हैं। उपयुक्त अवसर मिलने पर चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरी किए गए सामान को कबाड़ियों के यहां बेच देते हैं। वर्तमान घटना के संबंध में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में उक्त दुकान की रेकी की थी। घटना को अंजाम देने हेतु अभियुक्तों द्वारा एक ई-रिक्शा की चोरी की गई। इसके उपरांत उक्त दुकान में चोरी कर वहां से विभिन्न सामान चोरी किए गए तथा चोरी किए गए सामान को चोरीशुदा ई-रिक्शा में लादकर घटनास्थल से ले जाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. आशीष सैनी पुत्र सुक्खू सैनी उम्र 20 वर्ष निवासी निकट वर्मा चौराहा कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर मोबाइल
2. शैलेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद प्रसाद उर्फ गोविंद सविता उम्र 22 वर्ष निवासी रानी कॉलोनी कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
3. अजय कुमार मोर्य पुत्र रंजीत सिंह मोर्य उम्र 24 वर्ष निवासी आईटीआई अलंकार गार्डन के बगल कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष सैनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. **मु0अ0सं0 232/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर**
2. **मु0अ0सं0 194/2026 धारा 115(2), 191(2), 285, 351(2), 352 BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर**

गिरफ्तार अभियुक्त शैलेंद्र उर्फ कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 232/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 431/23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थअधि0 थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार मोर्य उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 232/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 126/22 धारा 380, 411, 427 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार मिश्र थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 रवि सिंह
3. का0 विजयवीर सिंह
4. का0 अमित कुंतल
5. रि०का0 रमेश यादव
6. का0 शुभम सिंह
7. रि0का0 मुनील कुमार
8. रि0का0 उमेश कुमार मौर्य